संख्या-95 /2023/1731/30-3-2023-1638129

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2023

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनॉक 15.05.2023 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राजस्व पक्ष के अन्तर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1037स0सु0/2023-08स0सु0/2021, दिनांक 06 जून, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 15-05-2023 में अनुमोदित कुल धनराशि रू0 3535.60 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 2709.51 लाख को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	प्रस्तावित मद	कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1 (क)	**सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम** • प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया, डिस्प्ले बोर्ड/होर्डिंग, राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय मेला/पर्व द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित।	1000.00	800.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख)	**शिक्षा विभाग के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किये जाने हेतु सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार-प्रसार** • प्रतियोगिताओं के माध्यम से : बेसिक/माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों में ब्लाक/जिला/मण्डल/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से। • परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय (25000 विद्यालय प्रति विद्यालय रू0 500) हेतु :- यातायात के सामान्य नियमों को विद्यालय की दीवार पर शिक्षा विभाग द्वारा लिखवाया जाना। • रोड सेफ्टी क्लबों हेतु :- उच्च शिक्षा के 890 महाविद्यालयों में स्थापित क्लबों के माध्यम से।	519.50	369.50
(ग)	• जिला सड़क सुरक्षा समिति/मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह/माह के अन्तर्गत संचालित सड़क सुरक्षा जन-जागरूकता कार्यक्रमों हेतु।	250.00	250.00
(घ)	• अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति/जिलाधिकारी के स्तर पर समस्त जनपदों में ब्लैक स्पॉट्स के सुधारों तथा दुर्घटना बाहुल्य स्थानों/क्षेत्रों पर चेतावनी/संकेतक बोर्ड लगाये जाने हेतु।	375.00	375.00
(ड़)	• उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बस स्टेशन पर स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु :- सड़क सुरक्षा कैम्पेन के प्रदेश व्यापी प्रचार-प्रसार हेतु परिवहन निगम की साधारण बसों पर उपलब्ध वाह्य एवं बैक पैनल पर उपलब्ध स्थान पर तीन माह का किराया व बसों पर चस्पा किये जाने वाले विज्ञापनों आदि पर व्यय हेतु।	558.62	295.13
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु	25.00	25.00
3	**सड़क सुरक्षा कोष द्वारा पूर्व से निर्मित ऑटोमेटेड इकाइयों के संचालन व रख-रखाव एवं कंसल्टेंसी पर व्यय :-** • ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कानपुर नगर एवं बरेली हेतु। • इंस्पेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेंटर, लखनऊ, कानपुर व आगरा हेतु। • 14 ड्राइविंग टेस्टिंग एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डी0टी0टी0आई0) (प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, मीरजापुर, गोरखपुर, बरेली, बस्ती, गोण्डा, झांसी, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़ एवं	216.62	160.62

http://shasanadesh.up.gov.in

	मुजफ्फरनगर) हेतु। • आई0डी0टी0आर0, रायबरेली हेतु। • डी0टी0टी0आई0, मुरादाबाद एवं आई एण्ड सी सेंटर कानपुर नगर एवं आगरा के कंसल्टेंसी की अवशेष किश्त हेतु।		
4	लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के कार्यालय एवं अन्य विविध व्यय हेतु • कार्यालय व्यय • 75 वाहनों के ईंधन/रख-रखाव (12 पब्लिसिटी वैन, 44 इण्टरसेप्टर एवं 19 बोलेरो) • सड़क सुरक्षा कोष के आडिट हेतु चार्टड एकाउन्टेन्ट की प्रोफेशनल सेवाओं को लिया जाना।	240.00	240.00
5	सड़क सुरक्षा के अंतर्गत लीड एजेंसी एवं फील्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों एवं अधिकारियों के वेतन तथा मानेदय पर व्यय	350.86	194.26
	महायोग (राजस्व मद) -	**3535.60**	**2709.51 लाख**

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-4227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(3) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी सुनिश्चित कर लेंगे।

(4) योजना की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा ओर धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 27,09,51,000/- (रुपये सत्ताईस करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

043 **लेखा शीर्षक** 3055-00-800-05-00-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय **मानक मद-**42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-42-X-2023-24-दिनांक 13-07-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-95/2023/1731(1)/तीस-3-2023-1638129, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।